न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—181 सन् 1989

नंद किशोर साह वगै0.....वादीगण।

बनाम

कमला देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक—24.10.2024

वादी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा—151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 23.10.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी दीपन सिंह वल्द स्व0 जुदागी सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 04.03.2013 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। लेकिन कानून की जानकारी नहीं रहने के कारण ससमय आवेदन दाखिल नहीं किया जा सका है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी के जगह पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

वादी की ओर से धारा—5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक—24.10.2024 को दाखिल कर विरोध किया गया है तथा कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही गांव के व्यक्ति हैं तथा आसपास में ही रहते हैं। वादी जानबूझकर काफी बिलेट अवस्था में आवेदन दाखिल किया है जो स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का सवाल खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0— 16 के रूप में दीपन सिंह वल्द स्व0 जुदागी सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 04.03.2013 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर चुका

है। प्रतिवादी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल कर विरोध किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वाद 35 वर्ष पुराना है एवं वादी ने जानबूझकर वाद को लंबित रखने के लिए वाद में उपर्युक्त कदम नहीं उठाया है। वाद प्रतिवादी साक्ष्य के अंतिम पड़ाव पर है एवं वादी पुनः वाद को जानबूझकर लंबित रखने के लिए वाद को उपस्थिति पर ले जाने हेतु विलंब से आवेदन दाखिल किए हैं, जबकि वादी को शुरूआत में ही जानकारी है, जैसा कि प्रतिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में कहा है कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही गांव के तथा आसपास के व्यक्ति हैं, जिससे प्रतीत हो रहा है कि वादी वाद को लंबित रखना चाहते हैं तथा 11 साल बाद आवेदन दाखिल किया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक–23.10.2024 को खारिज किया जाता है।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।

दिनांक–24.10.2024

वादी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा–151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 23.10.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी जुगेश्वर सिंह वल्द स्व0 रामराज सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 07.02.2017 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। लेकिन कानून की जानकारी नहीं रहने के कारण ससमय आवेदन दाखिल नहीं किया जा सका है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी के जगह पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक–24.10.2024 को दाखिल कर विरोध किया गया है तथा कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही गांव के व्यक्ति हैं तथा आसपास में ही रहते हैं। वादी जानबूझकर काफी बिलेट अवस्था में आवेदन दाखिल किया है जो स्वीकार

होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का सवाल खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0– 14 के रूप में जुगेश्वर सिंह वल्द राज नारायण सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 07.02.2017 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर चुका है। प्रतिवादी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल कर विरोध किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वाद 35 वर्ष पुराना है एवं वादी ने जानबूझकर वाद को लंबित रखने के लिए वाद में उपर्युक्त कदम नहीं उठाया है। वाद प्रतिवादी साक्ष्य के अंतिम पड़ाव पर है एवं वादी पुनः वाद को जानबूझकर लंबित रखने के लिए वाद को उपस्थिति पर ले जाने हेतु विलंब से आवेदन दाखिल किए हैं, जबकि वादी को शुरूआत में ही जानकारी है, जैसा कि प्रतिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में कहा है कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही गांव के तथा आसपास के व्यक्ति हैं, जिससे प्रतीत हो रहा है कि वादी वाद को लंबित रखना चाहते हैं तथा 07 साल बाद आवेदन दाखिल किया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक–23.10.2024 को खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।